**न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–10/2018**

# CIS NO TS 72/2019

सीता देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

राजहरण यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **21.10.2024** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 13.04.2023 अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश हेतु नियत है।<br>**आदेश (ORDER)**<br>वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 13.04.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी अपने दावे के समर्थन में अपना कागजात न्यायालय में दिनांक 12.12.2018 एवं दिनांक 10.02.2021 को दाखिल किया है। दाखिल कागजातों में निबंधित बयनामा दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि हालसर्वे खतियान की सच्ची प्रतिलिपि के साथ–साथ मूल बयनामा दस्तावेज दिनांक 17.08.2013 दाखिल है, जिसमें सच्ची प्रतिलिपि को वादी की ओर से प्रदर्श करने हेतु दिनांक 10.02.2021 को आवेदन दाखिल है, परंतु मूल बयनामा दस्तावेज को साबित करने हेतु वादी साक्षी सं0–02 जयलाल यादव को पुनः साक्ष्य हेतु रिकॉल करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी साक्षी सं0–02 को पुनः साक्ष्य हेतु रिकॉल करने का आदेश देने की कृपा किया जाय ताकि वादी अपना मूल कागजात को साबित कर प्रदर्श अंकित करा सके। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सैदव आभारी रहेगें।<br>प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 20.06.2023 को दाखिल किया गया है तथा कहा गया कि वादीगण के आवेदन कानून एवं तथ्य की नजर में पोषणीय नहीं है। वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है परंतु वादी वाद में विलंब करने हेतु आवेदन दाखिल कर रहे है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। | |

**न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–10/2018**

# CIS NO TS 72/2019

सीता देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

राजहरण यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 21.10.2024** | अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी साक्षी सं0–02 जयलाल यादव का प्रतिपरीक्षण दर्ज कर दिनांक 13.11.2019 को उन्मोचित किया गया है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही वाद का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना चाहिए। जिससे वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में वादीगण के आवेदन दिनांक 13.04.2023 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि वादीगण 05 तिथियों में वादी साक्षी सं0–02 जयलाल यादव का साक्ष्य करावें।<br>आगामी दिनांक 03.12.2024 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>अवर न्यायाधीश<br>नरकटियागंज | |